सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास का इतिहास

1. प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर दिनांक 07 सितम्बर 1919 को 'भारतीय सैनिक परिषद (Indian Soldiers Board) की स्थापना हुई । इस परिषद का उददे्श्य सरकार को सेवानिवृत्त, मृतक, अपंग सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुर्नवास के संबंध में सलाह प्रदान करना था ।

2. भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् इस परिषद का नाम बदलकर भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक परिषद (Indian Soldiers, Sailors and Airmen Board) कर दिया गया। इस परिषद का नाम पुनः 1975 में बदल कर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड रख दिया गया, जो एक संवैधानिक परिषद है । यह बोर्ड वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं में अपना योगदान देता है । सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण की महत्ता को समझते हुये सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय स्तर पर एक नये 'पूर्व सैनिक कल्याण विभाग' की स्थापना की गई है ।

3. यद्यपि सेवा निवृत्त सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण संबंधी कार्यो की जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों की है, परन्तु इसमें अधिकांश उत्तरदायित्व तथा उनकी समस्याओं का निदान राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है । अतः प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये 'राज्य सैनिक कल्याण परिषद' का गठन किया गया है । सैनिक कल्याण से संबंधित सभी कार्य जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालयों के माध्यम से किये जाते हैं । जिला स्तर पर परामर्श देने के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 'जिला सैनिक परिषद' का गठन किया गया है । उत्तराखण्ड में 13 जनपदों में 14 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हैं ।

स्वतन्त्रता पूर्व उत्तराखण्ड में जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना

जिला सोल्जर्स बोर्ड लैन्सडौन – वर्ष 1926

जिला सोल्जर्स बोर्ड अल्मोडा – वर्ष 1930

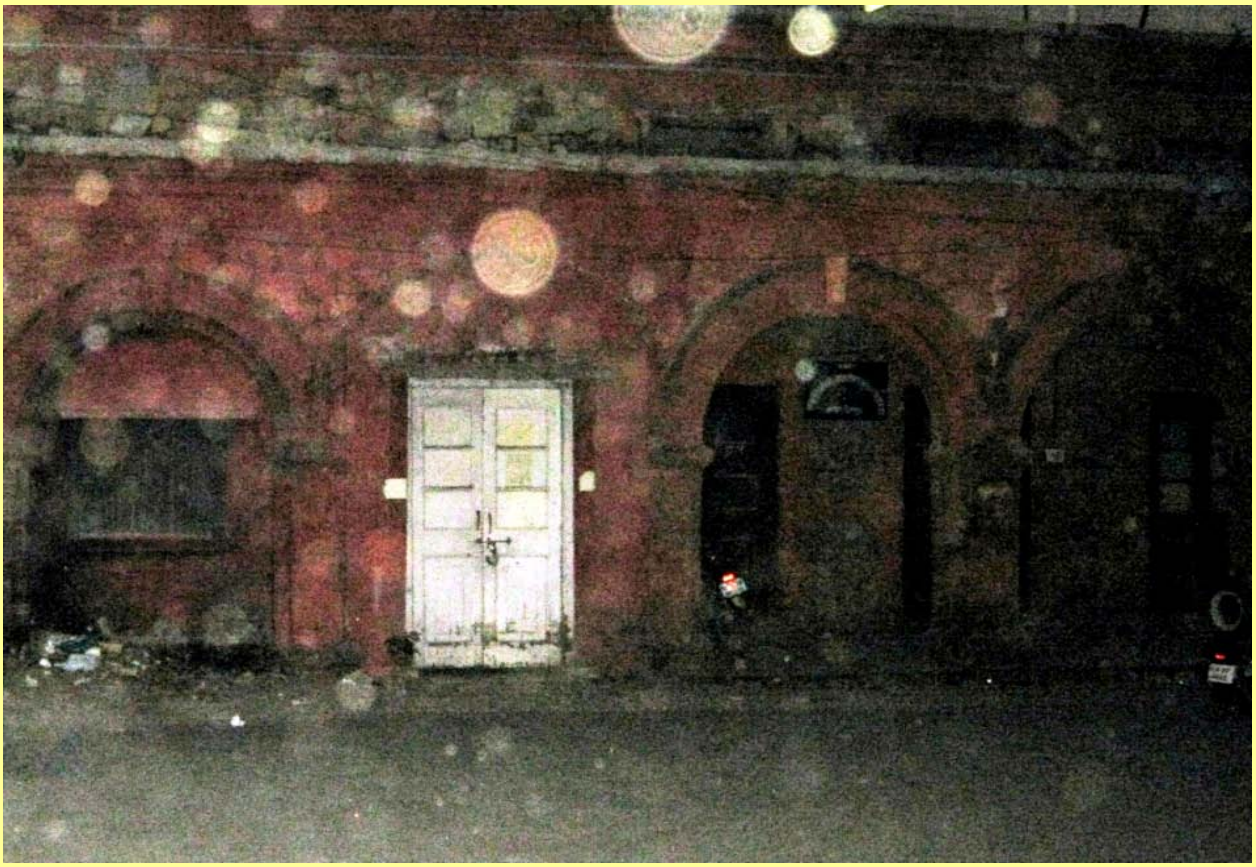

जिला सोल्जर्स बोर्ड देहरादून – वर्ष 1931